भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2157**
06.08.2026 को उत्तर के लिए

## उत्तरी राज्यों की वायु गुणवत्ता में सुधार

2157 **श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्यः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, लखनऊ, कानपुर, लुधियाना आदि सहित उत्तर भारत के शहरों में प्रत्येक वर्ष लंबी अवधि के लिए नियमित रूप से बहुत खराब और गंभीर वायु गुणवत्ता दर्ज की जाती है;

(ख) उत्तरी भारत में पराली जलाने, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण स्थलों से उत्पन्न धूल तथा वाहनों से होने वाले प्रदूषण को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा वायु गुणवत्ता सूचकांक में मापनीय सुधार के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(ग) क्या सरकार प्रभावित उत्तरी राज्यों के सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में प्रदूषणजनित रोगों की जांच एवं उपचार सुविधाओं को निःशुल्क अथवा रियायती आधार पर विस्तारित करने का विचार रखती है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क): वायु गुणवत्ता सूचकांक को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात् अच्छा (एक्यूआई: 0-50), संतोषजनक (एक्यूआई: 51-100), मध्यम प्रदूषित (एक्यूआई: 101-200), खराब (एक्यूआई: 201-300), अत्यंत खराब (एक्यूआई: 301-400) और गंभीर (एक्यूआई: 401-500)। वर्ष 2025 के दौरान लखनऊ, कानपुर, लुधियाना और दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के शहरों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का शहरवार विश्लेषण, जिसमें अच्छे दिनों (अच्छे, संतोषजनक और मध्यम एक्यूआई श्रेणी में दिनों की संख्या) और खराब दिनों (खराब, अत्यंत खराब और गंभीर एक्यूआई श्रेणी में दिनों की संख्या) को दर्शाया गया है, अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख): वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 24 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के 130 शहरों (गैर-प्राप्ति वाले शहर और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर) में राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 के दौरान 130 शहरों को संबंधित शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को लागू करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रदर्शन से संबंधित अनुदान के रूप में ₹16,423.56 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। 130 शहरों में से, उत्तर भारत के 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के 46 शहरों को एनसीएपी के तहत निधियां जारी की गई और इन शहरों को वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2025-26 तक वायु गुणवत्ता प्रदर्शन से जुड़ा 5,338.21 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया।

एनसीएपी के तहत किए गए लक्षित कार्यों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान, 108 शहरों में वार्षिक पीएम10 सांद्रता में वर्ष 2017-18 की तुलना में कमी दर्ज की गई, जिनमें से 72 शहरों में 20% से अधिक और 26 शहरों में 40% से अधिक की कमी देखी गई। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 में 14 शहरों ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा किया, जबकि वर्ष 2017-18 में केवल छह शहरों ने ऐसा किया था।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की स्थापना की है। दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में सीएक्यूएम ने अब तक एनसीआर राज्यों की सरकारों/जीएनसीटीडी और संबंधित एजेंसियों को 101 वैधानिक निर्देश और 17 परामर्श/कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। इनके कार्यान्वयन की नियमित प्रगति समीक्षा और अनुवर्ती आदेशों एवं निर्देशों के माध्यम से कड़ी निगरानी की जाती है।

सरकार ने धान और गेहूं की पराली जलाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। एनसीआर क्षेत्र और पंजाब में फसल अवशेष जलाने की रोकथाम के लिए, सीएक्यूएम ने धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण हेतु एक रूपरेखा जारी की है, जिसमें यथास्थाने फसल अवशेष प्रबंधन, धान के भूसे का विभिन्न अनुप्रयोगों में बाहरस्थाने उपयोग, प्रवर्तन और सूचना, शिक्षा एवं संचार जैसी गतिविधियां शामिल हैं। उक्त रूपरेखा के आधार पर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की हैं। इसके अलावा, सीएक्यूएम ने 2026 तक गेहूं की पराली जलाने की रोकथाम और उन्मूलन के लिए निर्देश भी जारी किए हैं।

समन्वित प्रयासों के चलते, पंजाब और हरियाणा राज्यों ने सामूहिक रूप से वर्ष 2025 में धान की कटाई के मौसम के दौरान आग लगने की घटनाओं में वर्ष 2022 की इसी अवधि की तुलना में लगभग 90% की कमी दर्ज की है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को अधिनियमित किया और उक्त अधिनियमों के तहत विभिन्न नियमों और विनियमों को अधिसूचित किया।

औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में की जाने वाली कार्रवाइयां मुख्य रूप से उद्योगों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और औद्योगिक उत्सर्जन मानदंडों की निगरानी और प्रवर्तन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत सहमति तंत्र के माध्यम से किया जाता है।

सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पीसीसी) उद्योगों के उत्सर्जन की निगरानी करती हैं ताकि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

(ग): राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में फैले 230 से अधिक निगरानी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से वायु प्रदूषण संबंधी बीमारियों की निगरानी करता है। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल (आईएचआईपी) के माध्यम से अगस्त 2023 में गंभीर श्वसन संक्रमण (एआरआई) की डिजिटल निगरानी शुरू की गई थी।

**अनुलग्नक - I**

**वर्ष 2025 के दौरान दिल्ली-NCR और उत्तरी भारत के शहरों में अच्छे दिनों (अच्छे, संतोषजनक और मध्यम) और खराब दिनों (खराब, बहुत खराब और गंभीर) की संख्या**

| | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | शहर | 2025 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | एक्यूआई की विभिन्न श्रेणियों में दिनों की संख्या | | | | | | | | |
| | | | अच्छा | संतोषजनक | मध्यम | खराब | बहुत खराब | गंभीर | अच्छे दिन | खराब दिन | कुल दिनों की संख्या |
| | | | (0-50) | (51-100) | (101-200) | (201-300) | (301-400) | (>400) | | | |
| 1. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 37 | 134 | 148 | 38 | 6 | 0 | 319 | 44 | 363 |
| 2. | दिल्ली | दिल्ली | 0 | 79 | 121 | 86 | 71 | 8 | 200 | 165 | 365 |
| 3. | हरियाणा | अंबाला | 1 | 12 | 38 | 20 | 4 | 0 | 51 | 24 | 75 |
| 4. | हरियाणा | बहादुरगढ़ | 1 | 7 | 8 | 26 | 31 | 5 | 16 | 62 | 78 |
| 5. | हरियाणा | बल्लभगढ़ | 1 | 4 | 14 | 32 | 27 | 0 | 19 | 59 | 78 |
| 6. | हरियाणा | भिवानी | 12 | 0 | 28 | 32 | 12 | 1 | 40 | 45 | 85 |
| 7. | हरियाणा | चरखी दादरी | 10 | 15 | 48 | 72 | 26 | 0 | 73 | 98 | 171 |
| 8. | हरियाणा | धारूहेड़ा | 2 | 2 | 10 | 26 | 33 | 3 | 14 | 62 | 76 |
| 9. | हरियाणा | फरीदाबाद | 0 | 34 | 87 | 66 | 0 | 0 | 121 | 66 | 187 |
| 10. | हरियाणा | फतेहाबाद | 1 | 1 | 33 | 26 | 15 | 0 | 35 | 41 | 76 |
| 11. | हरियाणा | गुरुग्राम | 9 | 59 | 118 | 117 | 32 | 0 | 186 | 149 | 335 |
| 12. | हरियाणा | हिसार | 0 | 6 | 44 | 6 | 0 | 0 | 50 | 6 | 56 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | हरियाणा | जींद | 5 | 8 | 16 | 34 | 19 | 2 | 29 | 55 | 84 |
| 14. | हरियाणा | कैथल | 2 | 7 | 39 | 20 | 4 | 0 | 48 | 24 | 72 |
| 15. | हरियाणा | करनाल | 0 | 6 | 32 | 41 | 4 | 0 | 38 | 45 | 83 |
| 16. | हरियाणा | कुरुक्षेत्र | 7 | 4 | 29 | 42 | 3 | 0 | 40 | 45 | 85 |
| 17. | हरियाणा | मंडीखेड़ा | 0 | 34 | 41 | 8 | 0 | 0 | 75 | 8 | 83 |
| 18. | हरियाणा | मानेसर | 2 | 5 | 12 | 38 | 26 | 0 | 19 | 64 | 83 |
| 19. | हरियाणा | नारनौल | 1 | 12 | 23 | 44 | 6 | 0 | 36 | 50 | 86 |
| 20. | हरियाणा | पलवल | 1 | 31 | 45 | 4 | 0 | 0 | 77 | 4 | 81 |
| 21. | हरियाणा | पंचगांव | 52 | 148 | 93 | 12 | 2 | 0 | 293 | 14 | 307 |
| 22. | हरियाणा | पंचकुला | 2 | 18 | 46 | 26 | 10 | 1 | 66 | 37 | 103 |
| 23. | हरियाणा | पानीपत | 2 | 3 | 20 | 38 | 7 | 1 | 25 | 46 | 71 |
| 24. | हरियाणा | रोहतक | 1 | 9 | 36 | 24 | 23 | 4 | 46 | 51 | 97 |
| 25. | हरियाणा | सिरसा | 4 | 43 | 28 | 6 | 5 | 0 | 75 | 11 | 86 |
| 26. | हरियाणा | सोनीपत | 0 | 0 | 2 | 40 | 27 | 0 | 2 | 67 | 69 |
| 27. | हरियाणा | यमुनानगर | 0 | 1 | 17 | 33 | 3 | 0 | 18 | 36 | 54 |
| 28. | हिमाचल प्रदेश | बद्दी | 6 | 73 | 211 | 61 | 11 | 0 | 290 | 72 | 362 |
| 29. | जम्मू और कश्मीर | पंपोर | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| 30. | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | 92 | 105 | 33 | 4 | 0 | 0 | 230 | 4 | 234 |
| 31. | पंजाब | अमृतसर | 45 | 169 | 109 | 12 | 1 | 0 | 323 | 13 | 336 |
| 32. | पंजाब | बठिंडा | 89 | 135 | 76 | 13 | 0 | 0 | 300 | 13 | 313 |
| 33. | पंजाब | जालंधर | 40 | 175 | 137 | 12 | 0 | 0 | 352 | 12 | 364 |
| 34. | पंजाब | खन्ना | 46 | 182 | 116 | 12 | 1 | 0 | 344 | 13 | 357 |
| 35. | पंजाब | लुधियाना | 20 | 163 | 166 | 9 | 0 | 0 | 349 | 9 | 358 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | पंजाब | मंडी गोबिंदगढ़ | 12 | 115 | 143 | 37 | 3 | 0 | 270 | 40 | 310 |
| 37. | पंजाब | पटियाला | 83 | 121 | 141 | 7 | 0 | 0 | 345 | 7 | 352 |
| 38. | पंजाब | रूपनगर | 36 | 97 | 79 | 16 | 3 | 0 | 212 | 19 | 231 |
| 39. | राजस्थान | अजमेर | 17 | 219 | 121 | 5 | 0 | 0 | 357 | 5 | 362 |
| 40. | राजस्थान | अलवर | 7 | 267 | 76 | 1 | 0 | 0 | 350 | 1 | 351 |
| 41. | राजस्थान | बांसवाड़ा | 32 | 150 | 164 | 1 | 1 | 0 | 346 | 2 | 348 |
| 42. | राजस्थान | बारां | 41 | 141 | 162 | 9 | 0 | 0 | 344 | 9 | 353 |
| 43. | राजस्थान | बाड़मेर | 18 | 142 | 191 | 11 | 1 | 0 | 351 | 12 | 363 |
| 44. | राजस्थान | भरतपुर | 70 | 122 | 158 | 13 | 0 | 0 | 350 | 13 | 363 |
| 45. | राजस्थान | भीलवाड़ा | 55 | 144 | 137 | 18 | 1 | 0 | 336 | 19 | 355 |
| 46. | राजस्थान | भिवाड़ी | 8 | 98 | 147 | 78 | 32 | 0 | 253 | 110 | 363 |
| 47. | राजस्थान | बीकानेर | 2 | 87 | 177 | 56 | 2 | 0 | 266 | 58 | 324 |
| 48. | राजस्थान | बूंदी | 50 | 103 | 174 | 18 | 2 | 0 | 327 | 20 | 347 |
| 49. | राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | 64 | 105 | 161 | 17 | 0 | 0 | 330 | 17 | 347 |
| 50. | राजस्थान | चुरू | 20 | 103 | 178 | 56 | 2 | 0 | 301 | 58 | 359 |
| 51. | राजस्थान | दौसा | 25 | 85 | 213 | 27 | 0 | 0 | 323 | 27 | 350 |
| 52. | राजस्थान | धौलपुर | 22 | 122 | 165 | 16 | 1 | 0 | 309 | 17 | 326 |
| 53. | राजस्थान | डूंगरपुर | 57 | 158 | 128 | 12 | 0 | 0 | 343 | 12 | 355 |
| 54. | राजस्थान | हनुमानगढ़ | 36 | 109 | 161 | 37 | 2 | 0 | 306 | 39 | 345 |
| 55. | राजस्थान | जयपुर | 5 | 118 | 216 | 26 | 0 | 0 | 339 | 26 | 365 |
| 56. | राजस्थान | जैसलमेर | 9 | 127 | 202 | 20 | 7 | 0 | 338 | 27 | 365 |
| 57. | राजस्थान | जालौर | 21 | 130 | 191 | 17 | 1 | 0 | 342 | 18 | 360 |
| 58. | राजस्थान | झालावाड़ | 30 | 191 | 127 | 13 | 0 | 0 | 348 | 13 | 361 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. | राजस्थान | झुंझुनू | 28 | 100 | 198 | 34 | 1 | 0 | 326 | 35 | 361 |
| 60. | राजस्थान | जोधपुर | 30 | 136 | 192 | 7 | 0 | 0 | 358 | 7 | 365 |
| 61. | राजस्थान | करौली | 60 | 131 | 138 | 11 | 0 | 0 | 329 | 11 | 340 |
| 62. | राजस्थान | कोटा | 12 | 126 | 186 | 40 | 1 | 0 | 324 | 41 | 365 |
| 63. | राजस्थान | नागौर | 25 | 97 | 197 | 38 | 3 | 0 | 319 | 41 | 360 |
| 64. | राजस्थान | पाली | 10 | 89 | 235 | 18 | 3 | 0 | 334 | 21 | 355 |
| 65. | राजस्थान | प्रतापगढ़ | 53 | 170 | 131 | 4 | 0 | 0 | 354 | 4 | 358 |
| 66. | राजस्थान | राजसमंद | 11 | 226 | 106 | 8 | 0 | 0 | 343 | 8 | 351 |
| 67. | राजस्थान | सवाई माधोपुर | 34 | 107 | 189 | 23 | 0 | 0 | 330 | 23 | 353 |
| 68. | राजस्थान | सीकर | 33 | 116 | 159 | 50 | 2 | 0 | 308 | 52 | 360 |
| 69. | राजस्थान | सिरोही | 59 | 225 | 67 | 5 | 0 | 0 | 351 | 5 | 356 |
| 70. | राजस्थान | श्री गंगानगर | 7 | 68 | 195 | 82 | 3 | 0 | 270 | 85 | 355 |
| 71. | राजस्थान | टोंक | 23 | 115 | 171 | 47 | 1 | 0 | 309 | 48 | 357 |
| 72. | राजस्थान | उदयपुर | 29 | 157 | 163 | 6 | 0 | 0 | 349 | 6 | 355 |
| 73. | उत्तर प्रदेश | आगरा | 44 | 178 | 135 | 8 | 0 | 0 | 357 | 8 | 365 |
| 74. | उत्तर प्रदेश | बागपत | 16 | 46 | 118 | 67 | 26 | 3 | 180 | 96 | 276 |
| 75. | उत्तर प्रदेश | बरेली | 62 | 235 | 53 | 1 | 0 | 0 | 350 | 1 | 351 |
| 76. | उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | 34 | 74 | 169 | 68 | 18 | 1 | 277 | 87 | 364 |
| 77. | उत्तर प्रदेश | फिरोजाबाद | 99 | 202 | 54 | 1 | 0 | 0 | 355 | 1 | 356 |
| 78. | उत्तर प्रदेश | गाजियाबाद | 6 | 79 | 145 | 67 | 54 | 14 | 230 | 135 | 365 |
| 79. | उत्तर प्रदेश | गोरखपुर | 59 | 138 | 135 | 9 | 0 | 0 | 332 | 9 | 341 |
| 80. | उत्तर प्रदेश | ग्रेटर नोएडा | 1 | 69 | 180 | 65 | 40 | 9 | 250 | 114 | 364 |
| 81. | उत्तर प्रदेश | हापुड़ | 37 | 125 | 97 | 53 | 34 | 3 | 259 | 90 | 349 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82. | उत्तर प्रदेश | झांसी | 122 | 179 | 57 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 |
| 83. | उत्तर प्रदेश | कानपुर | 41 | 186 | 126 | 11 | 0 | 0 | 353 | 11 | 364 |
| 84. | उत्तर प्रदेश | खुर्जा | 26 | 85 | 162 | 39 | 15 | 0 | 273 | 54 | 327 |
| 85. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 16 | 123 | 190 | 36 | 0 | 0 | 329 | 36 | 365 |
| 86. | उत्तर प्रदेश | मेरठ | 27 | 114 | 136 | 50 | 37 | 1 | 277 | 88 | 365 |
| 87. | उत्तर प्रदेश | मुरादाबाद | 16 | 220 | 124 | 5 | 0 | 0 | 360 | 5 | 365 |
| 88. | उत्तर प्रदेश | मुजफ्फरनगर | 20 | 125 | 126 | 59 | 24 | 0 | 271 | 83 | 354 |
| 89. | उत्तर प्रदेश | नोएडा | 7 | 81 | 171 | 42 | 50 | 14 | 259 | 106 | 365 |
| 90. | उत्तर प्रदेश | प्रयागराज | 98 | 153 | 107 | 7 | 0 | 0 | 358 | 7 | 365 |
| 91. | उत्तर प्रदेश | वाराणसी | 139 | 156 | 68 | 2 | 0 | 0 | 363 | 2 | 365 |
| 92. | उत्तर प्रदेश | वृंदावन | 71 | 170 | 106 | 1 | 0 | 0 | 347 | 1 | 348 |
| 93. | उत्तराखंड | देहरादून | 106 | 136 | 77 | 16 | 1 | 0 | 319 | 17 | 336 |
| 94. | उत्तराखंड | काशीपुर | 92 | 112 | 91 | 13 | 2 | 0 | 295 | 15 | 310 |
| 95. | उत्तराखंड | ऋषिकेश | 94 | 162 | 36 | 1 | 0 | 0 | 292 | 1 | 293 |

**नोट**:- अच्छे दिन (अच्छे, संतोषजनक और मध्यम एक्यूआई-श्रेणी में दिनों की संख्या) खराब (खराब, बहुत खराब और गंभीर एक्यूआई-श्रेणी में दिनों की संख्या निगरानी किए शहर- पर्याप्त निगरानी किए हुए दिन: 366 दिनों तथा 365 दिनों का 75 प्रतिशत

**अनुलग्नक II**

**वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम**

**1.0 वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपाय:**

- 1 अप्रैल, 2020 से देश के बाकी हिस्सों के लिए बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानकों को अपनाना।
- अप्रैल 2020 से पूरे देश में बीएस-VI मानकों वाले वाहनों की शुरुआत।
- वाहनों में ईंधन भरते समय होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में प्रति माह 100 कि.ली. से अधिक और 1 लाख से 10 लाख के बीच आबादी वाले शहरों में प्रति माह 300 कि.ली. से अधिक पेट्रोल बेचने वाले नए और मौजूदा पेट्रोल पंपों पर वेपर रिकवरी सिस्टम (वीआरएस) स्थापित करना।
- भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024' (ईएमपीएस 2024) के ज़रिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना।
- 'किफ़ायती परिवहन के लिए एक टिकाऊ विकल्प' (एसएटीएटी) पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कम्प्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र लगाना और ऑटोमोटिव ईंधन के तौर पर इस्तेमाल के लिए बाज़ार में सीबीजी उपलब्ध कराना है।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ई-वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करना।
- ट्रैफिक मूवमेंट के साथ तालमेल बिठाने/ लेन-ड्राइविंग के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम (आईटीएस) शुरू करना।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'वाहन स्क्रैपिंग नीति' को लागू करने के लिए ज़रूरी ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से 'पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा' (आरवीएसएफ) और 'ऑटोमेटेड टेस्टिंग सिस्टम' (एटीएस) की स्थापना के बारे में अधिसूचना जारी किए हैं।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 'प्रदूषण नियंत्रण' प्रमाण पत्र प्रणाली कार्यक्रम को बेहतर और मज़बूत बनाना।

**2.0 औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपाय:**

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की अनुसूची-I: 'विभिन्न उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सरण के लिए मानक' के तहत उद्योग-विशिष्ट निस्सरण मानक अधिसूचित किए। अब तक, 79 औद्योगिक

सेक्टरों के लिए उद्योग-विशिष्ट पर्यावरण मानक अधिसूचित किए जा चुके हैं। जिन औद्योगिक सेक्टरों के लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं, उन पर पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-VI के तहत अधिसूचित किए गए सामान्य मानक लागू होंगे।

- निगरानी तंत्र को मज़बूत करने और स्व-नियामक तंत्र के ज़रिए नियमों की प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सीपीसीबी ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की सभी 17 श्रेणियों को ओसीईएमएस लगाने का निर्देश दिया।
- सीपीसीबी ने 12.02.2025 के निर्देश के माध्यम से कुल 419 सेक्टर और उप-सेक्टर को लाल(125), नारंगी (137), हरा (61), सफेद (87) और नीली (9) श्रेणियों में बांटा है।
- भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की अनुसूची-I 'विभिन्न उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के मानक' के अंतर्गत उद्योग-विशिष्ट निर्वहन मानक अधिसूचित किए हैं। अब तक, 79 औद्योगिक क्षेत्रों (जिनमें 56 क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन मानक शामिल हैं) के लिए उद्योग-विशिष्ट पर्यावरण मानक अधिसूचित किए जा चुके हैं। जिन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-VI के अंतर्गत अधिसूचित सामान्य मानक लागू होंगे।
- जिन प्रक्रियाओं के लिए अनुमति दी गई है उन्हें छोड़कर, 26 जुलाई, 2018 से देश में आयातित पेट कोक के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।
- सीपीसीबी ने 800 कि.वा. तक की सकल मैकेनिकल पावर वाले डीज़ल पावर जेनरेटिंग सेट इंजन के लिए रेट्रो-फिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण (आरईसीडी) की उत्सर्जन अनुपालना परीक्षण के लिए प्रणाली और प्रक्रिया तैयार किया है।
- 2022 में, सीपीसीबी ने अनिवार्य किया कि नए ईंट-भट्ठे ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी, वर्टिकल शाफ़्ट या पाइप्ड प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करें और विशिष्ट मानकों का पालन करें। साथ ही, मौजूदा भट्ठों को भी इन प्रौद्योगिकीयों में बदलना होगा या मंज़ूरी प्राप्त ईंधन का इस्तेमाल करना होगा।
- 2023 में, सीपीसीबी ने 800 कि.वा. तक के डीज़ल जेनरेटर (डीजी सेट) के लिए ज़्यादा सख़्त उत्सर्जन मानक (सीपीसीबी IV+) लागू किए। इसके तहत, जहाँ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, वहाँ डुअल-फ़्यूल सिस्टम (70% गैस, 30% डीज़ल) का इस्तेमाल ज़रूरी कर दिया गया और कम से कम 70% पीएम कैप्चरिंग क्षमता वाले रेट्रो फिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण (आरईसीडी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया।

## 3.0 वायु की गुणवत्ता की निगरानी और नेटवर्क

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक(एक्यूआई) 2015 में लॉन्च किया गया था। वायु गुणवत्ता बुलेटिन के माध्यम से सर्वसाधारण तक प्रतिदिन जानकारी पहुंचाई जा रही है।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता नेटवर्क: देश में 1646 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (593 लगातार चलने वाले और 1053 मैनुअल) का नेटवर्क है, जो 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों के 603 शहरों को कवर करता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) एक केंद्रीकृत वायु गुणवत्ता निगरानी पोर्टल चलाता है, जिसमें प्रत्येक घंटे पीएम सांद्रता, निगरानी स्टेशनों का लाइव वायु गुणवत्ता डेटा और लाइव वायु गुणवत्ता सूचकांक जैसी अलग-अलग जानकारी को ट्रैक किया जाता है।
- पूरे भारत के शहरों के लिए एक्यूआई की जानकारी देने वाला एक्यूआई बुलेटिन सीपीसीबी की वेबसाइट पर प्रतिदिन प्रकाशित किया जाता है।

## 4.0 सी एण्ड डी अपशिष्ट और एमएसडब्ल्यू

- सीपीसीबी ने निम्नलिखित दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं (जो सीपीसीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं):

1. मार्च 2017 में 'निर्माण और विध्वंस (सी एण्ड डी) अपशिष्ट का पर्यावरणीय प्रबंधन'
2. नवंबर 2017 में 'निर्माण सामग्री और सी एण्ड डी अपशिष्ट को संभालने में धूल शमन के उपाय के उपायों पर दिशानिर्देश'
3. खुले की आग और लैंडफिल में आग लगने की समस्या से निपटने के लिए बायो-माइनिंग और बायो-रेमेडिएशन के माध्यम से पुराने अपशिष्ट का निपटान

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025' अधिसूचित किए, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू हैं। ये नियम स्रोत पर अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों और अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्प्राप्ति, पुन:उपयोग और पुन:चक्रण पर केंद्रित है अलग-अलग हितधारकों की भूमिकाओं और जवाबदेही पर ज़ोर देते हैं। इन संशोधित नियमों में, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पैदा करने वालों के लिए बेहतर प्रबंधन के कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें ऐसे अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग के लिए 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' (ईपीआर) भी शामिल है।
- सीपीसीबी ने सभी एसपीसीबी/पीसीसी को निर्देश जारी किए हैं कि वे 20,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा क्षेत्रफल वाली निर्माण परियोजनाओं/साइट्स पर एंटी-स्मॉग गन लगाएं और धूल कम

करने के उचित उपाय लागू करें। सीपीसीबी ने निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं में एंटी-स्मॉग गन के इस्तेमाल के लिए दिशानिर्देश/उपाय जारी किए हैं।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2026' अधिसूचित किए, जो अप्रैल 2026 से लागू होंगे। संशोधित नियमों में 'सर्कुलर इकोनॉमी' और 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' के सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जिसमें अपशिष्ट के सही पृथक्करण और उसके प्रबंधन पर खास ध्यान दिया गया है। इन नियमों में नियमों का पालन न करने पर 'पॉल्यूटर पेज़' (प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करेगा) सिद्धांत के आधार पर पर्यावरण मुआवज़ा लगाने का प्रावधान है; इसमें बिना पंजीकरण के काम करना, गलत रिपोर्टिंग, जाली दस्तावेज़ जमा करना या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के गलत तरीके अपनाना जैसे मामले शामिल हैं।
- सीपीसीबी ने जनवरी 2021 में सभी एसपीसीबी/पीसीसी को पुराने अपशिष्ट की बायो-माइनिंग से जुड़े एसडब्ल्यूएम नियम-2016 के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश जारी किए।
- सीपीसीबी ने मई 2022 में सभी एसपीसीबी/पीसीसी को एमएसडब्ल्यू डंपसाइट्स पर आग लगने की घटनाओं के संबंध में एसडब्ल्यूएम नियम-2016 को लागू करने के निर्देश जारी किए।

**5.0 फसल अवशेषों को जलाने पर नियंत्रण के उपाय**

- कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) द्वारा वर्ष 2018-19 से फसल अवशेष प्रबंधन नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2018-19 से 2026-27 तक (29.07.2026 तक), संबंधित राज्यों को कुल 4550.451 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है (पंजाब - 2206.28 करोड़ रुपये, हरियाणा - 1220.42 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश - 911.03 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश - 90.218 करोड़ रुपये, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - 7.405 करोड़ रुपये, आईसीएआर - 107.378 करोड़ रुपये और अन्य - 7.7205 करोड़ रुपये)। राज्यों ने प्रत्येक किसान को 3.54 लाख से अधिक मशीनें वितरित की हैं और इन राज्यों में 43,508 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित किए हैं।
- विद्युत मंत्रालय ने 7 नवंबर, वर्ष 2025 को कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों में बायोमास को साथ में जलाने के लिए एक नीति जारी की है। इस नीति के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर स्थित कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों को 2025-26 से 5 प्रतिशत (वजन के अनुसार) बायोमास पेलेट्स या टॉरिफाइड नगर ठोस अपशिष्ट चारकोल को साथ में जलाना अनिवार्य है।
- राज्य रिमोट सेंसिंग केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के परामर्श से उपग्रह डेटा का उपयोग करके इसरो द्वारा फसल अवशेष जलाने से उत्पन्न आग की घटनाओं

के आकलन के लिए एक मानक प्रोटोकॉल विकसित किया गया था और इसे सीएक्यूएम द्वारा अगस्त 2021 में जारी किया गया था। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल फसल के अवशेष जलाने की घटनाओं पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। आईएआरआई अपनी सीआरईएएमएस लैब के ज़रिए, धान और गेहूं की कटाई के मौसम में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में इस प्रोटोकॉल के आधार पर आग लगने की घटनाओं का रोज़ाना डेटा जारी करता है।

- सीएक्यूएम ने दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित थर्मल पावर प्लांटों और एनसीआर में स्थित औद्योगिक इकाइयों के कैप्टिव पावर प्लांटों में कोयले के साथ 5-10% बायोमास को साथ में जलाने के निर्देश जारी किए हैं।

- सीएक्यूएम ने पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं कि वे एनसीआर से बाहर के जिलों में स्थित सभी ईंट भट्टों में धान के भूसे से बने बायोमास पेलेट्स/ब्रिकेट्स का उपयोग अनिवार्य करें, ताकि धान की पराली जलाने की प्रथा को समाप्त किया जा सके। इसका उद्देश्य धान के भूसे से बने पेलेट्स/ब्रिकेट्स का 50% सह-दहन करना है, जिसमें से कम से कम 20% 01.11.2025 से, 30% 01.11.2026 से, 40% 01.1.2027 से और 50% 01.11.2028 से प्रभावी होना चाहिए।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने धान के पुआल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेलेटाइजेशन और टॉरफेक्शन संयंत्रों की स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण प्रभार निधि के अंतर्गत एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

- अब तक 32 पेलेटाइजेशन संयंत्रों को मंजूरी दी जा चुकी है (पंजाब में 25 और हरियाणा में 7) जिनकी लागत 34.72 करोड़ रुपये है। स्वीकृत 32 संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 137 टीपीएच है और इनसे प्रतिवर्ष 6.36 लाख टन धान के भूसे का उपयोग करके 4.93 लाख टन पेलेट का उत्पादन होने की उम्मीद है।

**6.0 हितधारकों के साथ नियमित बातचीत, जनता और मीडिया तक पहुंच**

- सीपीसीबी ने 'समीर' नाम का एक मोबाइल ऐप बनाया है, जिसमें एक्यूआई समेत कई पैमानों के आधार पर रियल-टाइम एम्बिएंट एयर क्वालिटी का डेटा मिलता है। 'समीर' ऐप जनता को एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी देता है और ऐसी शिकायतें अलग-अलग स्थानीय एजेंसियों को सौंपी जाती हैं।

- जनता तक पहुंचने के लिए एक समर्पित मीडिया कॉर्नर और ट्विटर व फेसबुक अकाउंट भी बनाए गए हैं।

- समीर ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर शिकायतों के समाधान की निगरानी की जाती है और समाधान की स्थिति संबंधित एजेंसियों के साथ साझा की जाती है।
- सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर रोज़ाना एक्यूआई की स्थिति साझा की जाती है। साथ ही, वायु प्रदूषण, पटाखे, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, पराली जलाना, संधारणीय जीवनशैली आदि से जुड़े विभिन्न अभियान और जानकारीपूर्ण पोस्ट भी नियमित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट किए जाते हैं।

****